(19)

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
19–ए, विधानसभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी ,
लखनऊ, उ0प्र0।

पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / एन.यू.एच.एम. / प्रोक्योर0 / 2014–15 / 19 / 5934 दिनांक 16-3-15

विषयः– जनपद लखनऊ के 8 बाल महिला चिकित्सालय हेतु 8 कम्प्यूटर प्रिंटर एवं यू0पी0एस0 क्रय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 की एन0यू0एच0एम0 आर0ओ0पी0 के एफ0एम0आर0 कोड संख्या–8.3 में लखनऊ के 8 बाल महिला चिकित्सालय हेतु 8 कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं यू0पी0एस0 के क्रय करने के लिए स्वीकृत रु0 50,000.00 प्रति कम्प्यूटर प्रिंटर एवं यू0पी0एस0 की दर से कुल रु0 4.00 लाख की धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति, लखनऊ को दिनांक 3–3–2015 को अवमुक्त कर दी गई है।

उक्त कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं यू0पी0एस0 का क्रय भण्डार क्रय नियम, उ0प्र0 शासन के प्राविधानों (छाया प्रति संलग्न) के अंतर्गत एम0आई0एस0 अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए निम्न स्पेसिफिकेशन के अनुसार किया जाना है।

Sl No.	Item	Specifications
1.	Desktop Computer	Desktop having Intel core i3 or higher processor. 4 GB DDR-III RAM or higher expandable up to 8 GB; Integrated sound & graphics controller, Gigabite Ethernet Controller with IPV6 complaint; 500GB or higher SATA-II HDD (7200 rpm) 17" or higher TFT, LCD monitor with 5 ms or better response time and inbuilt/side attachable speakers ; Preloaded latest version antivirus software with one year free upgrade validity; Preloaded with OEM Pack Window 7 HB, all necessary Plug-n-Play/utilities and driver software, bundled in CD/DVD Media. Standard OEM Warranty. Price all inclusive
2.	Printer	Laserjet Printer; A4, 18 ppm or higher, 600x600 dpi (1200 dpi effective output), 2MB Memory, USB port with 5000 pages duty cycle with one year warranty price all inclusive and Standard OEM Warranty.
3.	UPS	UPS 800 VA Offline with 30 mins backup Standard OEM Warranty.

आपसे अनुरोध है कि कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं यू0पी0एस0 का क्रय नियमानुसार करते हुए व्यय विवरण एस.पी.एम.यू. को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक–यथोक्त

13/3/15
O/C (अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / एन.यू.एच.एम. / प्रोक्योर0 / 2014–15 / 19 / 5934-2 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, प0क0 महानिदेशालय, लखनऊ।
2 जिला कार्यक्रम प्रबंधक एन.आर.एच.एम. लखनऊ।

13/3/15
O/C (अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

भण्डार–क्रय नियम

1. प्राक्कथन

भण्डार क्रय सम्बन्धी नियमों का उल्लेख वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–V भाग–I के अध्याय XII के नियम 255 से 260–क तक में एवं परिशिष्ट XVIII में किया गया है। उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार भण्डार क्रय नियमों से सम्बन्धित शासनादेश जारी किये जाते रहे हैं। भण्डार क्रय करते समय ऐसे सभी नियमों तथा शासनादेशों का पालन किया जाना चाहिए।

2. भण्डार क्रय करते समय ध्यान रखने योग्य बिन्दु

क्रय करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का पालन किया जाना चाहिये। अनावश्यक व्यय, आवश्यकता से अधिक व्यय तथा ऐसा व्यय जो विभाग के निर्दिष्ट उद्देश्यों/लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक न हो, नहीं किया जाना चाहिये। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का कर्तव्य है कि वह उसके नियंत्रण में रखे गये लोक–धन में से व्यय करते समय उसी सतर्कता और सावधानी का परिचय दे जैसा कि एक सामान्य विवेकपूर्ण व्यक्ति अपने निजी धन के व्यय के सम्बन्ध में बरतता है। व्यय की धनराशि का शासकीय हित में पूर्ण प्रतिदान मिलना चाहिये। व्यय शासकीय नीतियों/निर्देशों के प्रतिकूल न हो। क्रय हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित करना चाहिये–

(i) क्रय की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गयी हो।

(ii) बजट के माध्यम से पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी हो।

(iii) नियमानुसार क्रय प्रक्रिया का अनुपालन किया गया हो।

3. सामग्री क्रय हेतु अपनायी जाने वाली विधियाँ

(क) बिना कोटेशन के क्रय–

₹20,000 मूल्य तक की वस्तुओं का क्रय, बिना कोटेशन प्राप्त किए किया जा सकता है।

(ख) कोटेशन प्राप्त करके क्रय–

₹20,000 से अधिक किन्तु ₹1,00,000 मूल्य तक की वस्तुओं का क्रय प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ताओं से कोटेशन प्राप्त करके किया जा सकता है।

(ग) निविदा या टेण्डर की प्रक्रिया से क्रय–

₹1,00,000 से अधिक के मूल्य की सामग्री के क्रय के लिए टेण्डर की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(घ) कोटेशन प्राप्त करने अथवा टेण्डर की प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होगी यदि :

- वर्तमान समय में उद्योग निदेशालय द्वारा सामग्री के सम्बन्ध में दर अनुबन्ध या मात्रा अनुबन्ध किया गया हो, तथापि भविष्य में *शासनादेश संख्या 352/18–2–2011–4(एस0पी0)/2010, दिनांक 31 मार्च, 2011* द्वारा **उद्योग निदेशालय के माध्यम से दर अनुबन्ध और मात्रा अनुबन्ध की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है,** अब दर अनुबन्ध एवं मात्रा अनुबन्ध राजकीय विभागों द्वारा क्रय प्रक्रिया का सम्यक् पालन करते हुये अपने स्तर से किया जायेगा।
- वाहनों के क्रय के सम्बन्ध में डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्पोजल्स (डी0 जी0 एस0 एण्ड डी0) का दर अनुबन्ध लागू हो।
- पंचायत उद्योग निदेशक से मान्यता प्राप्त पंचायत उद्योगों से उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का क्रय किया गया हो।

1. कृषि यन्त्र
2. टाट पट्टी
3. जूट बैग्स
4. स्टील बाक्स
5. शिक्षा किट्स
6. विज्ञान किट्स
7. फेमिली प्लानिंग किट्स
8. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स
9. वैटिनरी आइटम्स
10. बैलेट बाक्स
11. हैंड पम्प
12. फ्री–वीविंग
13. फैब्रीकेशन आइटम
14. आर0सी0सी0 स्पन पाइप
15. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत संगमरमर की नाम पट्टिकायें
16. हार्टिकल्चर विभाग के लिए आइटम
17. हास्पिटल इक्यूपमेंट

9. पंचायत उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का क्रय

पंचायती राज अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 5038ग / 33–371–74, दिनांक 19 जुलाई, 1976 द्वारा शासन ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के समस्त विभाग तथा समस्त पंचायती राज संस्थाएँ अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ अनिवार्य रूप से प्रथमतः पंचायत उद्योगों से ही क्रय करें। इस सम्बन्ध में यह भी निश्चय किया गया कि पंचायत उद्योगों द्वारा निर्मित माल की खरीदारी के लिए टेण्डर या कोटेशन आमंत्रित करना आवश्यक नहीं होगा और इस सीमा तक स्टोर परचेज नियमों को शिथिल समझा जाएगा।

शासनादेश संख्या 2282ग / 33–3–14 / 1983 पंचायती राज अनुभाग–3, दिनांक 30 मई, 1984 द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा निर्मित / उत्पादित उन्हीं वस्तुओं का क्रय उनसे किया जाएगा जिस उत्पाद के लिए निदेशक पंचायतीराज द्वारा अधिकृत किया गया हो। इस शासनादेश में यह भी अपेक्षा की गयी है कि पंचायत उद्योग अपने ही बनाये माल की आपूर्ति करे तथा किसी भी दशा में बिचौलियों का काम न करें।

10. कम्प्यूटर–क्रय

शा0सं0 08 / 78 / आई0टी0–2–2001, दिनांक 12–09–2001 द्वारा कम्प्यूटर क्रय के सम्बन्ध में नियम / शर्तें निर्धारित की गयी हैं–

(क) निम्नांकित तीन विकल्पों के माध्यम से संबंधित विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, निगम, निकाय, परिषद, स्वायत्तशासी संस्थाएँ कम्प्यूटर क्रय करेंगी –

(i) अपने स्तर से

(ii) यू0पी0 डेस्को, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन, या निक्सी से या

(iii) संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से।

(ख) प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वयं द्वारा क्रय की दशा में (i) सचिव / प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में (ii) आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग (iii) वित्त विभाग (iv) सचिव, औद्योगिक विकास (प्रभारी स्टोर परचेज) (v) स्टेट इन्फारमेटिक्स आफीसर या एन0आई0सी0 के प्रतिनिधि तथा (vi) यू0पी0 डेस्को या यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा नामित विशेषज्ञ को सम्मिलित करते हुये गठित समिति के माध्यम से क्रय किया जायेगा।

(ग) प्रशासनिक विभाग उचित समझें तो विभागाध्यक्ष के स्तर से क्रय करा सकेंगे जिसके लिए निम्नांकित क्रय समिति होगी–

(i) विभागाध्यक्ष – अध्यक्ष

(ii) विभाग के वित्त नियंत्रक या विभाग के वित्त एवं लेखा प्रभाग के प्रमुख

(iii) विभाग के राज्य स्तरीय विभागीय विशेषज्ञ

(iv) यू0पी0 डेस्को या यू0पी0ई0सी0 द्वारा नामित विशेषज्ञ

(v) स्टेट इन्फार्मेटिक्स आफिसर, एन0आइ0सी0 के प्रतिनिधि

(घ) राज्य के नियंत्रणाधीन संगठनों यथा सार्वजनिक उपक्रमों निगमों निकायों परिषदों स्वायत्तशासी निकायों द्वारा कम्प्यूटर क्रय स्वयं किये जाने की दशा में क्रय समिति निम्नवत गठित होगी–

(i) संगठन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

(ii) संगठन के वित्त एवं लेखा के प्रमुख,

(iii) संगठन के तकनीकी विभाग का प्रमुख

(iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित बाहरी विशेषज्ञ

(v) एन0आइ0सी0 का प्रतिनिधि (स्थानीय)।

(ङ) जिलाधिकारी स्तर हेतु क्रय समिति–

(i) जिलाधिकारी

(ii) मुख्य विकास अधिकारी

(iii) संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी

(iv) जिला कोषाधिकारी

(v) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0)

(vi) जिलाधिकारी द्वारा नामित वाह्य तकनीकी विशेषज्ञ।

(च) एक वर्ष में ₹10 लाख तक की सीमा के कम्प्यूटर क्रय करने के लिए शासन के समस्त प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष/सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अन्य शासकीय संगठन/ जिलाधिकारी शासन के आई.टी. एवं इलैक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा अनुमोदित पैनल में कम से कम तीन आपूर्तिकर्ताओं जो कि अलग–अलग ओरिजनल एक्विपमेन्ट मैनुफैक्चरर (OEM) अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि हों, से कोटेशन माँग कर क्रय आदेश जारी कर सकेंगे। शासन के आई०टी० एवं इलैक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार अनुमोदित पैनल सभी विभागों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(छ) कम्प्यूटर क्रय स्टोर परचेज रूल्स के सामान्य प्राविधानों व समय–समय पर जारी निविदा एवं अनुबन्ध प्रणाली से संबंधित सामान्य निर्देशों के अनुरूप तथा निम्नलिखित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा–

(i) केवल ब्रांडेड/ओरिजनल इक्यूपमेंट मैनुफैक्चरर अथवा उनके अधिकृत डीलर/विक्रेताओं से ही कम्प्यूटर क्रय किया जायेगा।

(ii) क्रय में सामान्यतः मात्रा अनुबन्ध हेतु शासकीय नियम लागू होंगे। कम्प्यूटर क्रय हेतु तकनीकी विशिष्टियों का निर्धारण भी संबंधित क्रय समिति द्वारा किया जायेगा।

(iii) कम्प्यूटर क्रय केवल खुली निविदा से किया जायेगा जो कि दो भागों में– टेक्निकल बिड या फाइनेन्सियल बिड होगी और यह दोनों अलग–अलग लिफाफों में प्राप्त की जायेंगी। टेक्निकल बिड खुलने के बाद तकनीकी रूप से सक्षम पायी गई निविदाओं की फाइनेन्सियल बिड खोली जायेगी।

(iv) वांछित विशेषताओं तथा शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख टेण्डर डाक्यूमेंट में किया जायेगा और टेण्डर खुलने के बाद में इनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(v) फाइनेन्शियल बिड खुलने के बाद कोई निगोशियेशन नहीं किया जाएगा।

(vi) टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पूर्ण पारदर्शिता अपनाई जाएगी।

(vii) यदि किसी कारण से आपूर्ति के स्रोत में टैक्स/ड्यूटी घटती है तो आपूर्तिकर्ता द्वारा मूल्य तदनुसार घटाया जाएगा।

(viii) कम्प्यूटर क्रय हेतु माडल डाक्यूमेंट बनाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट www/ up.govt.in/infotech पर उपलब्ध है।

11. निविदा सूचना का व्यापक प्रचार

निविदा आमंत्रण सूचना का प्रचार अत्यंत खुले तथा व्यापक पारदर्शी विधि से किया जायेगा। उत्तर प्रदेश राजपत्र (गजट) में प्रकाशन, सूचीबद्ध अदाताओं को सीधे परिपत्र द्वारा सूचित करना, समाचार पत्र में सूचना का प्रकाशन तथा स्वयं के सूचना पटट पर सूचना चिपकाना आदि कुछ विधियॉं है। बड़े मूल्य का टेंडर मांगा जाय तो उसका प्रकाशन दूर–दूर तक व्यापक परिचालन वाले प्रसिद्ध दो/तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए। टेण्डर सूचना के विज्ञापन में अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी उल्लेख होना चाहिये कि टेण्डर किस स्थान पर एवं किस तिथि तथा समय तक डाले जाने तथा कब खोले जाने हैं। टेण्डर सूचना में वांछित अर्नेस्ट मनी तथा टेण्डर स्वीकृति की दशा में वांछित सेक्योरिटी मनी के बारे में भी विवरण दिया जाय तथा यह स्पष्ट किया जाय कि सभी टेण्डरों को बिना कारण बताये, सक्षम अधिकारी (कौन है लिखा जाय) द्वारा निरस्त किया जा सकता है। शा0स0 ए–1–1173/दस–2001–10(55)/2000, दिनांक 27 अप्रैल, 2001 के अनुसार शासन के विभाग द्वारा जारी टेण्डरों की सूचना तथा प्रति www.up.info.org की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाती है तथा समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा वेबसाइट पर उसे रखने का कार्य सूचना निदेशालय के माध्यम से किया जाता है।

ऐसी सामग्री जो क्रेता द्वारा तय मानदण्ड के अनुसार क्रय किया जाना परमावश्यक हो और उसका उत्पादक मात्र अकेला हो तो उस दशा में सीधे उत्पादक से टेण्डर मांगा जायेगा। सावधानी यह होगी कि क्रेता किन्ही कारणों से विशेष सामग्री हेतु उसके उत्पादक को एकल उत्पादक न घोषित करे। क्रेता अधिकारी /समिति को इस आशय का प्रमाणक उल्लिखित करना पड़ता है कि यह प्रोप्राइटरी आइटम है। ऐसे प्रकरणों में निदेशक उद्योग से परामर्श लिया जा सकता है कि क्या वांछित सामग्री प्रोप्राइटरी आइटम है या नहीं ?

12. निविदा प्रपत्र में उल्लेखनीय प्रमुख प्राविधान

(क) ₹1,00,000 से अधिक की निविदाएँ बड़े मूल्य की निविदाएँ मानी जायेंगी तथा उनकी प्राप्ति के लिए कम से कम एक माह का समय दिया जायेगा।

(ख) यथासम्भव, निविदायें इस उद्देश्य से निर्धारित मानक प्रपत्र पर आमंत्रित की जानी चाहिये। टेण्डर सूचना या विज्ञापन टेण्डर प्रपत्र का भाग बन जाता है। टेण्डर प्रपत्र में आपूर्ति की जानी वाली सामग्री का विवरण, मात्रा, निर्दिष्टियाँ, आपूर्ति स्थल, आपूर्ति समय, लदाई–उतराई का दायित्व, पैकिंग, एक्सपायरी तिथि भुगतान की शर्तें, परीक्षण/बेंचमार्किंग, कटौतियाँ, आपूर्ति की मात्रा तथा उसमें घट–बढ़, अर्नेस्ट मनी, सेक्योरिटी मनी, न्याय क्षेत्र, आरबिट्रेशन इत्यादि सभी बिन्दुओं पर प्रकाश डाला जाना चाहिए।

(ग) अर्नेस्ट मनी सामान्यतया निम्नांकित दर से मांगी जायेगी। यदि अर्नेस्ट मनी में किसी विशेष दशा में कोई छूट दी जानी हो तो उसका उल्लेख कर दिया जायेगा।

₹1,900 + एक लाख से ऊपर मूल्य की निविदाओं के प्रत्येक अतिरिक्त ₹ पाँच हजार या उसके किसी भाग पर ₹100 परन्तु किसी भी दशा में अर्नेस्ट मनी अनुमानित क्रय मूल्य के 1/2 प्रतिशत से कम और 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पाँच, भाग–1 के पैरा 71 के अनुसार जमानत धनराशि की धनराशि, राष्ट्रीय बचतपत्रों, राष्ट्रीयकृत बैंकों के मियादी जमा रसीदों, बैंक जमा रसीदों इत्यादि के रूप में प्राप्त किये जा सकते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र आदि श्री राज्यपाल के पक्ष में बन्धक होंगे तथा मियादी जमा रसीदें एवं बैंक जमा रसीदें श्री राज्यपाल के नाम से जारी होंगी।